

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- शकुंतला चौधरी आर.ए.एस


दिनांक :- 11/10/22

क्रमांक :- दुरजस्ती / 2022 / 391

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरजस्ती प्रार्थना पत्र एव पटवारी विड़ियागांधी, खववाना भू अभिलेख निरीक्षक गांधीबड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार भादरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 5 बारानी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में खाता संख्या. 32/38, में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम / चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	5 बारानी	32/38	प्रार्थीगण के पिता का नाम धनश्यामदास	प्रार्थीगण के पिता का नाम धनश्याम दर्ज किया जावे।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 11/10/22

क्रमांक:- सम / 2022 / 392-393

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया. रामबाई जयवीरसिंह पुत्र धनश्याम को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
भादरा (जिला-हनुमानगढ)